BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 06 जुलाई, 2024 **CRACKDOWN BULANDSHAHR** थाना अगौता

निर्माणाधीन बुलंद बायो गैस प्लांट में डकैती की घटना कारित करने वाले वांछित बदमाश से थाना अगौता पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व एक बाइक बरामद।

जनपद में तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 06-07-2024 को थाना अगौता पुलिस टीम गस्त कर रही थी तभी जमालपुर बम्बा पटरी के पास एक बाइक सवार पुलिस टीम को देखकर तेज गति से बाइक को मोडकर चकरोड पर खेतो की तरफ भागने लगा तभी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। अभियुक्त द्वारा अपने आप को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **1. जुल्ला उर्फ जुल्फिकार पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम दहपा थाना पिलखवा जनपद हापुड के रूप में हुई है।** घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल में भेजा गया है।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शातिर किस्म का लुटेरा/डकैत हैं जिसके द्वारा दिनांक 04/05-03-2024 की रात्रि में थाना अगौता क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन बुलंद बायो गैस प्लांट में अपने साथियो के साथ मिलकर डकैती की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना अगौता पर मुअसं-45/24 धारा 395 भादवि पंजीकृत हैं। जिसकी गिरफ्तारी के निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. जुल्ला उर्फ जुल्फिकार पुत्र गुलफाम नि0 ग्राम दहपा थाना पिलखवा जनपद हापुड।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा, 02 खोखा कारतूस।

2- 01 बाइक स्प्लैन्डर प्लस (बिना नम्बर)

अभियुक्त जुल्ला उर्फ जुल्फिकार का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-54/10 धारा 395/412/376 भादवि व 3(2)5एससी/एसटी एक्ट थाना पिलखुआ जनपद हापुड।

2- मुअसं-281/10 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना हापुड नगर जनपद हापुड।

3- मुअसं- 85/14 धारा395/412/376 भादवि व 3(2)5एससी/एसटी एक्ट थाना हाफिजपुर हापुड।

4- मुअसं- 92/14 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।

5- मुअसं- 87/14 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।

6- मुअसं- 01/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।

7- मुअसं- 93/23 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना पिलखुआ

8- मुअसं-45/24 धारा 395/412 भादवि थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।

9- मुअसं- 109/317(5) बीएनएस व 3/25/28 आर्म्स एक्ट थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना अगौता मुअसं-153/24 धारा 109/317(5) बीएनएस व 3/25/28 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री संदीप कुमार थानाध्यक्ष अगौता

2- उ0नि0 यूटी अंकित कुमार

3- है0का0 मजहर, का0 राजेन्द्र, का0 भूपेन्द्र

मीडिया सेल बुलंदशहर।